Haryana Government
Department of Fisheries
Bays No. 31-32, Sector-4, Panchkula
e-Auction Notice

No.DA-I/e-Auction/PKL/2019/ 13983 Dated: 13-8-19

It is hereby notified for the information of the General Public that e- auction of Fishing Rights of Notified Waters of remaining District Yamunanagar, Kurushetra, Panipat, Sonepat, Faridabad/Palwal and Jind of Haryana State, (situated in above districts as per schedule of Haryana Fisheries Rules-1996), shall be put to open public auction through the process of e-Auction. The e-Auction will be held on **16-08-2019** at **9.00 AM to 12:00 noon** and bids can be submitted from **9.00 AM to 12:00 noon**, extendable maximum up to 12:30 PM. The important instructions for participation in the online e-Auction are as under:-

The bids shall be made online on the website https://eauction.gov.in

The intending bidders before participation in the e-auction/ bidding process will be required to create ***their user account online by selecting the option of e auction from discipline column and obtain user-id /password*** on the website https://eauction.gov.in

A. (If already created user account, this step needs to be skipped). For necessary instructions regarding participation in e-Auction of Fishing Rights of Notified waters of the Haryana State, please visit the aforementioned website and click on the available link "How to...?" at the Home Page.

After getting the ***user account created***, the prospective/intending bidders shall upload following documents (in PDF format not exceeding limit of 10 MB for individual document) along with deposition of **earnest money (EMD)** in shape offline Demand Draft in favour of Director Fisheries in order to participate in the e-Auction latest by **14.08.2019 till 02:00 PM** anytime after the publication of this document.

The details of documents to be uploaded are as under:-

(i) Copy of the **Partnership deed or Article of Association (in case of Fisherman Co- operative Society registered under the law relating to the registration of Co-operative Societies),** or an affidavit (in case of sole proprietor). No transfer or addition or deletion of the partners/Directors will be permissible before execution of the agreement;

(ii) A copy of authority letter by the Partnership Firms or **Copy of resolution** of Fisherman Co- operative Society of the Company in favour of the person who shall be offering the bids online for such intending agency.

(iii) Earnest Money will have to be deposited, of the District/Districts for which bid has to be made, shown in the **Table-'A'** against each District/Districts, through offlilne payment in due course of time i.e. up to 14.08.2019 till 02:00 PM. In case the intended bidder fails to pay offline Demand Draft of EMD fee under the stipulated time frame will not be allowed to enter in e-Auction of Fishing Rights of Notified waters of the Haryana state.

Note:- Any document uploaded as per **(i), (ii) and (iii)** above at later stage/ after auction found to be wrong/ false shall invite revocation /cancellation of bid and forfeiture of amount deposited at the time of auction apart from debarring the bidder from participation in any subsequent bids for a period of 5 years.

1. Any bidder interested to participate in the auction can submit his bid/s from date 16.08.2019 from 9:00 am to 12:00 noon.
2. However, in case any bid in respect of any District is received 10 minutes prior to time fixed for closure for the bids i.e. bid received between 11:50 AM to 12.00 noon, then the time for closure of the auction would be extended automatically by 10 minutes, so that equal opportunity is made

available to the persons participating in the bidding process. Such extensions of ten minutes will continue till bids are received within next 10 minutes of last bid for any District, otherwise the same would get concluded.

3. In case, the bidding would continue during such extensions of 10-10 minutes, the bidding process will finally conclude at 12:30 PM and no further extension would be given thereafter.
4. The minimum bid incremental value during the initial time provided (i.e. from 9:00 AM to upto 12:00 noon) will be multiple of Rs.1000 (As shown in Table-'A' District / Districts). However, the increment during extended period (16.08.2019 from 12.00 PM to 12:30 PM) will be multiple of Rs. 2000/- (Rs. Two thousand) instead of Rs. 1000/- (Rs. One Thousand).
5. The date for e-auction for all the District/Districts as per Table-'A' will be on dated 16/08/2019. e- auction of those District/Districts which will not be completed on 16-08-2019 shall again be held on 23-08-2019 and 30-08-2019

The District/Districts wise details of the Reserve Price, Earnest Money, Detail of Bank Account for Deposition of 1/3rd amount of auction and 5% of contract amount as Security and other terms and conditions of the auction of Fishing Rights of Notified water of Haryana State are as tabulated below:-

District Wise detail (Table –'A'):-

Sr. No.	**Name of District/Districts**	**Reserve Price (in Rs.)**	**Earnest Money (in Rs.)**	**Detail of Bank Account for Deposition of 1/3rd of auction amount and 5% of contract amount as Security**
1.	**Yamuna Nagar**	1554040	155000	**District Fisheries Officer YamunaNagar** Bank Name: PNB Bank Bank IFSC Code:

				PUNB0370100 Bank MICR Code: 135024003 Bank Address:Model Town, YamunaNagar Bank A/C No.: 3701000100151890 Mobile No.: 8307296366 Unique Code: FL4B30
2.	**Kurukshetra**	369460	37000	**District Fisheries Officer Kurukshetra** Bank Name: Vijaya Bank Kurukshetra Bank IFSC Code: VIJB0008328 Bank MICR Code: 136029118 Bank Address: Vijaya Bank, Railway Road, Kurukshetra Bank A/C No.: 832801011000656 Mobile No.:94167-33836 Unique Code:OJ9QLI
3.	**Panipat**	3485780	348000	**District Fisheries Officer Panipat** Bank Name: State Bank of India Bank IFSC Code:SBIN0001620 Bank MICR Code:132002003 Bank Address: G.T. Road Panipat-132103 Bank A/C No.:32074751125 Mobile No.:9896681447 Unique Code: MEAJ0Y
4.	**Sonepat**	3613670	361000	**District Fisheries Officer Sonepat** Bank Name: Central Bank of India Sonepat Bank IFSC Code: CBIN0282323 Bank MICR Code:110016091 Bank Address: Atlas Road, Model town Sonepat Bank A/C No.: 1137021892 Mobile No.:9416974792 Unique Code: FL4B25

5.	**Faridabad/Palwal**	674800	67000	**District Fisheries Officer Palwal** Bank Name: Union Bank of India Bank IFSC Code: UBIN0561509 Bank Address: Bye Pass Road Agra chowk, Palwal Bank A/C No.: 615002010002287 Mobile No.: 09811530068
6.	**Jind**	694000	69000	**District Fisheries Officer Jind** Bank Name: State bank of India Bank IFSC Code: SBIN0050409 Bank MICR Code:126002019 Bank Address: State Bank of India, Mini Secreatariate, Jind Bank A/C No.: 65001585586 Mobile No.: 9466076577 Unique Code: DOAQSG

E- Auction की शर्ते :–

1 अधिसूचित पानियो की निलामी की समय अवधि 01.09.2019 से 31.08.2020 तक होगी।

2 मत्स्य नियमावली 1996 के अधीन हरियाणा राज्य के अधिसूचित पानियों में मछली पकडने के अधिकारों की ई–नीलामी संयुक्त निदेशक मत्स्य मुख्यालय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा खुली बोली e-auction द्वारा जुलाई के प्रथम सप्ताह से करवाई जायेगी।

3 मछली ठेके नीलाम करने वाली समिति की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक मत्स्य मुख्यालय करेगा। नीलामी समिति की सिफारिश के आधार पर निरीक्षण उपरांत नीलामी की मंजूरी निदेशक, मत्स्य पालन द्वारा दी जायेगी ।

4 सरकारी पानी जो निलाम किये जा रहे है, में कोई व्यक्ति बिना लाईसैंस के मछली नही पकड़ सकता। लाईसैस सम्बन्धित जिले का अधिकारी देगा।

5 नीलामी करने वाला अधिकारी अधिक से अधिक बोली मन्जूर करने का पाबन्द नही होगा।

6 नीलामी करने वाला अधिकारी जिला के पानियों को एक या एक से अधिक भागों में निलाम करने का अधिकार रखता है।

7 अगर अधिक से अधिक बोली किसी फिशरमैन को–ओप्रेटिव सोसाईटी, जो कि मौजूदा कानून के मुताबिक मन्जूर सुदा है, की है तो उससे ज्यादा बोली वही मन्जूर होगी जो सोसाईटी की बोली से 10 प्रतिशत अधिक होगी। अगर वही सबसे अधिक बोली पिछले तीन सालो की औस्त से कम होगी तो अधिकारी उस अधिक से अधिक बोली को या फिशरमैनको–ओप्रेटिव सोसाईटी की बोली को मन्जूर करने का पाबन्द नही होगा और ठेका दोबारा निलाम करने का अधिकारी होगा।

8 जिस ठेकेदार की बोली मन्जूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूर्ण धनराशि मौके पर जमा करवानी होगी या ठेके की कुल बोली का 1/3 भाग तथा कुल बोली की 5 प्रतिशत राष्शि धरोहर राशि के रूप में मौके पर जमा करवानी होगी, शेष 2/3 हिस्से की राशि निलामी की तिथि से 30 दिन के अन्दर–2 जमा करवानी होगी । ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई 1/3 हिस्से की धनराशि धरोहर राशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई कैश सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी । यदि उच्चतम बोली की धनराशि **50,000/–रू0** से कम है तो पूरी धनराशि का भुगतान मौके पर ही करना होगा। (**नोटः–** उक्त वर्णित धनराशि टेबल– ए मे दर्शाए गए विवरणानुसार सम्बन्धित जिला अधिकारी के खाता संख्या मे RTGS/NEFT के माध्यम से Online जमा करवानी होगी।)

9 यदि लाईसैंसदार इन कानूनों में से या लाईसैंस की किसी शर्त को तोडता है तो लीगल कार्यवाही के अलावा उसकी जमानत की रकम या कुछ भाग, जो भी लाईसैंस जारी करने वाला अधिकारी ठीक समझे, जब्त कर लिया जायेगा । यदि लाईसैंस रद्द नही किया जाता तो ठेकेदार जमानत जब्त करने की सूचना लाईसैस जारी करने वाले अधिकारी से मिलते ही जमानत की रकम या उसका जब्त किया गया भाग तुरन्त जमा करवाकर जमानत की रकम पूरी करेगा ।

10 ठेकेदार द्वारा निलामी की पूर्ण राशि जमा करवाने तथा करारनामा देने पर फार्म (बी) पर लाईसैस जारी कर दिया जायेगा ।

11 लाईसैंस या ठेके की अवधि कानून के अर्न्तगत पहली सितम्बर से अगले वर्ष की 31 अगस्त तक होगी ।

12 लाईसैसदार या एजैन्ट या परमिटदार पहली जुलाई से 31अगस्त तक बन्दी के मौसम में बन्सी डोरी और हाथ की डोरी के ईलावा किसी भी साधन से मछली नही पकडेगा ।

13 लाईसैसदार खुद या उसके नुमाईन्दे जिनके पास सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के हस्ताक्षर वाले परमिट होंगे, वही मछली पकडने का हकदार होगा ।

14 ठेकेदार स्वंय या उसके एजैन्ट का नुमाईदा उन पानियों में जहां शिकार बन्द किया गया है, मछली नही पकडेगा । इसके साथ नियमावली 1996 की धारा 10 के अर्न्तगत यमुनानगर के निम्नलिखित पानियों में मछली पकडने की पाबन्दी होगी :–

1. यमुना नदी	हथिनी कुण्ड से गांव कलेसर तक ।
2. पष्चिमी यमुना नहर	गांव जैधरी दादुपुर हैड वर्कस आर.डी. 51900 से 66347 तक मुख्य लाईन अपर तथा दादुपुर हैड वर्क्स से गांव अमादलपुर तक आर.डी. 0 से 32600 तक मुख्य लाईन लोअर

15 लाईसैसदार या उसके एजैन्ट का नुंमाईदा नीचे लिखे हुए मछली पकडने के साधनों के ईलावा किसी ओर तरीके से मछली नही पकड़ सकते है।

(अ) सभी प्रकार के जाल जिनमें खानों (घेरों) की एक गांठ से दूसरी गांठ तक का अन्तर चार सैंटीमीटर हो या चारों ओर का घेरा 16 सैटीमीटर हो।

(ब) कुण्डियों वाली लाईन।

(स) बन्सी डोरी।

(द) हाथ धागा कुण्डियां।

16 ठेकेदार पुलो के उपर और नीचे 100 मीटर तक सिवाऐ कुण्डी डोरी के किसी ओर साधन से शिकार नही कर सकता है।

17 ठेकेदार यमुना नदी के रेलवे पुल जगाधरी के 200 मीटर उपर व नीचे तथा घग्गर नदी के 200 मीटर उपर व नीचे सिवाऐ बन्सी डोरी के किसी भी अन्य साधन से मछली नही पकड सकता।

18 ठेकेदार उसके एजैंन्ट या नुमाईदें नीलाम हुए पानी में कोई स्थाई ईजनों का मछली पकडने के लिये न तो निर्माण करेगा और न ही करवायेगा। महा–जाल मछली की रूकावट के लिये नही लगायेगा।

19 ठेकेदार जहर डाल कर, बिजली लगाकर, बारूद मार कर या अन्य जहरीली औषधि का, पटाखे वाली चीज द्वारा मछली नही पकडेगा और न ही वह अपने एजैण्ट व नुमाईदें को पकडने देगा।

20 लाईसैसदार को अपना लाईसैस उन अधिकारियों को दिखाना होगा, अन्यथा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को पंजाब मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1914 की धारा 6 के अधीन बिना वारन्ट के गिरफतार करने के लिये सषक्त है।

21 लाईसैसदार उसके एजैण्ट या नुमाईदे न तो 30 सैटीमीटर से कम लम्बी कतला, राहू,, मिरगल, कलवास, माहशेर, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प व कामन कार्प किस्म की कोई मछली बेचने अथवा विनिमय के लिये नही पकडेगा तथा न ही प्रदर्शित करेगा।

22 ठेकेदार निदेशक मत्स्य से पूर्व प्राप्त स्वीकृति के बिना किसी के नाम ठेका तबदील नही कर सकता है।

23 ठेकेदार को एक परमिट रजिस्टर रखना होगा, जिसमें जिन व्यक्तियों को परमिट दिया गया है, उनके नाम पते दर्ज करने होगें।

24 लाईसैसदार को एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें पकडी गई मछली, बेची गई मछली का वजन दर्ज करना होगा। जिस साधनों द्वारा मछली पकडी गई हो वह लिखने होंगें तथा जिस किस्म की मछलियां हो और जहा से पकडी गई हो लिखना होगा। मछलियों के थोक व प्रचून भाव भी लिखने होगे।

25 ठेकेदार एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक मास की 5 तारीख तक सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी को भेजेगा, जिसमें पिछले पैरा में दी गई सारी सूचना होगी। अगर ठेकेदार रिपोर्ट निश्चित समय पर नही भेजता है तो 10/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन तक जुर्माना वसूल किया जायेगा। यदि वह दर्शाई गई अवधि के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसका लाईसैस रद्रद किया जा सकता है।

26 ठेकेदार उस मछली पर कमीशन नही लेगा जो मछली विभाग उसको बेचने के लिये देगा।

27 यदि मछली ठेकेदार तथा उसका एजैन्ट अथवा उसका नामजद व्यक्ति नियमों में किसी प्रकार के उल्लघंन के सम्बन्ध में जो उसके ध्यान में आता है, उसकी सूचना ईलाके के तहसीलदार या उपायुक्त तथा विभाग के अधिकारी को देने के लिये बाध्य होगा।

28 ठेकेदार सरकार से किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा पानी गन्दा होने, बाढ के आ जाने या कीमतो के घट जाने या कानूनी कार्यवाही करने के कारण या किसी अन्य कारण से नही ले सकता।

29 ठेकेदार किसी ऐसे नुकसान के लिये मुआवजे का दावा करने का हकदार नही होगा जो उसे इन नियमों के किसी उपबन्ध अथवा उसकी अनुज्ञप्ति के किसी निबन्धन के उल्लघंन के लिये मत्स्य पालन विभाग के किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही के कारण हुआ हो।

30 निदेशक मत्स्य पालन विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मछली के हिसाब –किताब की जांच–पडताल के लिये ठेकेदार या मछली पकडने, स्टोर करने या मछली बेचने की जगह में दाखिल हो सकता है और रिकार्ड देख सकता है।

31 कानून के विरूद्ध मछली पकडने पर ठेकेदार का तमाम मछली पकडने का सामान जब्त किया जा सकता है और नजदीकी पुलिस थाने में ले जाया जा सकता है तथा पकडी गई मछली जब्त करके निलाम की जा सकती है।

32 यदि ठेकेदार या उसका एजैण्ट का नुमाईन्दा इन कानूनों में से किसी को तोडता है या लाईसैस की किसी शर्त को तोडता है, तो मत्स्य विभाग द्वारा कानून के अधीन कार्यवाही करने के अतिरिक्त उसका लाईसैस भी रद्रद किया जा सकता है। इस हालात में ठेका दोबारा निलाम किया जा सकता है और लाईसैसदार को पुनः निलाम करने का खर्चा तथा जो घाटा सरकार

को होगा, देना पडेगा। लाईसैस रद्रद होने की हालात में जारी किये गये परमिट भी रद्रद समझे जायेगें।

33 लाईसैस जारी करने वाला अधिकारी निलाम किये हुए पानियों में बन्सी डोरी के लाईसैस जारी कर सकता है।

इन लाईसैसों की फीस निम्न प्रकार होगी:–

1. एक वर्ष के लिये	100/–रू0
2. एक माह के लिये	50/–रू0
3. एक सप्ताह के लिये	25/–रू0
4. दैनिक	5/–रू0

34 विभाग निलाम किये हुये पानियों में से किसी भी साईज की मछली रिसर्च के लिये, बढोतरी के लिये किसी भी समय और किसी भी साधन से पकड सकता है। ठेकेदार इसके लिये कोई भी मुआवजा नही ले सकता।

35 यदि अधिसूचित पानियों में कोई मागूंर मछली पाई जाती है तो ठेकेदार को उसे मत्स्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के सामने नष्ट करना होगा।

36 अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सफल बोलीदाता को अधिसूचित पानियों में मछली पकडने के अधिकारों की प्राप्ति पर स्वीकृत बोली के 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 4,00,000/–रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। उस सफल बोलीदात के पास अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड/पैन कार्ड व हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।

37 यमुनानदी में मछली पकडने के अधिकार के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यमुनानदी का फैलाव पडोसी राज्य (उत्तर प्रदेश) में मछली पकडने पर रोकने के लिये हरियाणा सरकार/मत्स्य विभाग की जिम्मेवारी नही होगी ना ही मत्स्य विभाग हरियाणा इस सम्बन्ध में कोई मुआवजा देगा।

38 राज्य के अधिसूचित पानियों में नदिया, नहरे, नाले, झीले यानि हरियाणा नियमावली 1996 में नियम–1(2)के तहत दी गई पानियों की अनुसूची के अलावा कोई जल संसाधन शामिल नही है।

39 सफल बोलीदाता को कुल निलामी की धनराशि का 1.5 प्रतिशत स्टाम्प डियूटी व 500/–रू0 प्रति केस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ विभाग से करारनामा करना होगा।

40 उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक ठेकेदार को हरियाणा मत्स्य नियमावली 1996 में दर्शाई गई शर्तो की भी अनुपालना करनी होगी।

41 निलामी मे भाग लेने वाले सभी ठेकेदार सबसे उंची बोली Onlineदेख सकते है सबसे उंची बोली देने वाले को उनके registered email/Mobile Number/SMS द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।

42 जी०एस०टी० नियमानुसार लागू होगा।

43 हालांकि e-Auction का विस्तृत वर्णन दिए जाने बारे सावधानी बरती गई है फिर भी अनजाने मे किसी मानवीय भूल के कारण कोई गलती को निलामी के बाद भी लेकिन अनुबन्ध से पहले ठीक कर दिया जाएगा ।

44 निलामी प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए निलामी करने / निलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

निदेशक मत्स्य पालन विभाग हरियाणा
पंचकूला ।